भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

अतांराकित प्रश्न संख्या :2828

दिनांक 5 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

भारतीय विमानन क्षेत्र का विकास

2828. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री रवि किशन:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय विमानन क्षेत्र की विकास दर कितनी रही है;

(ख) देश में विमानन और एयरोनॉटिकल विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या कोविड-19 महामारी के कारण विमानन क्षेत्र वैश्विक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्यां है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एयर इंडिया अब तक सभी कोविड-19 नयाचारों का पालन करते रहे हैं और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): पिछले पांच वर्ष के दौरान भारतीय विमानन सेक्टर में, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के सेक्टरों के लिए, विमान आवागमन, यात्री संभलाई और मालभाड़े की दृष्टि से हुई वृद्धि का ब्यौरा अनुबंध - 1 के रूप में संलग्न है।

(ख): दिनांक 31 मार्च 2021 तक, विमानन और वैमानिकी क्षेत्र में सीधे भर्ती कार्मिकों की अनुमानित संख्या 2 लाख से अधिक है।

(ग): जी हां। विमानन उद्योग, वैश्विक स्तर पर और भारत, दोनों के लिए कोविड-19 द्वारा बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिसका कारण हवाई यात्रा मांग में अत्यधिक कमी, अधिकांश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का बंद होना और अनेक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर कोविड-संबंधी आवागमन प्रतिबंध हैं।

भारत में हवाई यातायात में गिरावट का ब्यौरा इस प्रकार है:

i. घरेलू यात्रियों की संख्या जनवरी 2020 में लगभग 128 लाख से गिरकर जनवरी 2021 में लगभग 77 लाख हो गई, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

ii. घरेल यात्रियों की संख्या फरवरी 2020 में लगभग 124 लाख से गिरकर फरवरी 2021 में लगभग 78 लाख हो गई, जिसमें लगभग 37 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गई है।

(घ): सरकार द्वारा देश के नागर विमानन सेक्टर में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं:

i. आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 के अंतर्गत नागर विमानन सेक्टर को लाभ प्रदान किए गए हैं।

ii. कुशल वायुक्षेत्र प्रबंधन, छोटे मार्गों एवं न्यूनतम ईंधन खपत के लिए भारतीय वायु सेना के साथ समन्वय स्थापित कर भारतीय विमानक्षेत्र में मार्गों का युक्तिकरण किया गया है।

iii. घरेलू अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

iv. क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) उड़ानों के प्रचालन को बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के अनुमति दी गई।

v. 28 देशों के साथ विशिष्ट एयर-लिंक या एयर-बबल स्थापित किए गए हैं।

vi. मौजूदा और नए हवाईअड्डों में पीपीपी मार्ग के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।

vii. भारतीय वाहकों को अंतरराश्ट्रीय एयर कार्गो यातायात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

viii. 'गिफ्ट' सिटी में स्थित विमानन लीजिंग कम्पनियों को उल्लेखनीय कर प्रोत्साहन और अन्य लाभ प्रदान किए गए।

ix. उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को एएआई के पांच हवाईअड्डों नामत: बेलगावी, जलगांव, कालाबुर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी में स्थित भूमि शून्य एयरपोर्ट रॉयल्टी चार्जेस और युक्तिसंगल भूमि किरायों सहित प्रदान की गई है।

x. एएआई अपने आठ हवाईअड्डों पर शून्य एयरपोर्ट रॉयल्टी चार्जेस और युक्तिसंगत भूमि किरायों सहित एक कारोबार हितैषी एमआरओ नीति लेकर आया है।

(ङ.): जी हां। एअर इंडिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय आदि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों और राज्य सरकारों की सलाह के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल बनाए रख रही है।

एअर इंडिया द्वारा उठाए गए मुख्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अग्रणी (फ्रंटलाइन) स्टाफ को हवाईअड्डों पर यात्री संभलाई में कोविड-19 प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

ii. यात्रियों के लिए प्रोटेक्टिव गीयर के इस्तेमाल के लिए प्रोटोकॉल से संबंधित सूचना परिचालित की गई है।

iii. हवाईअड्डे पर कोविड-19 परिदृश्य के अंतर्गत यात्री प्रक्रिया प्रवाह के लिए सामान्य अनुदेश और सूचना सख्त अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं।

iv. सम्पर्क रहित यात्री संभलाई प्रक्रियाओं, जैसे 100 प्रतिशत ऑनलाइन चेकइन, स्व-घोषणा प्रपत्रों की प्रस्तुति और सेल्फ बैगेज ड्रॉप आदि पर जोर दिया गया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) अपने हवाईअड्डों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुरक्षण करता रहा है। एएआई द्वारा उठाए गए मुख्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और आरटी-पीसीआर टेस्टिंग।

ii. यात्रियों का सम्पर्क रहित आवागमन।

iii. स्वच्छता और साफ-सफाई।

iv. सामाजिक दूरी संबंधी मानकों का अनुसरण।

v. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार 'क्या करें' और 'क्या न करें' तथा बायो-हैजर्ड वेस्ट के निपटान से संबंधित डिस्प्ले।

अनुलग्नक-I

भारतीय विमानन क्षेत्र में वृद्धि दर

वर्ष	विमान प्रचालन (1000 में)					
	आईएनटीएल	पिछले वर्ष की तुलना में आईएनटीएल % वृद्धि	घरेलू	पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू % की वृद्धि	कुल	पिछले वर्ष की तुलना में कुल% वृद्धि
2016-17	400.42	6.8%	1648.66	16.1%	2049.08	14.1%
2017-18	437.93	9.4%	1886.62	14.4%	2324.55	13.4%
2018-19	452.64	3.4%	2153.32	14.1%	2605.96	12.1%
2019-20	431.85	-4.6%	2155.20	0.1%	2587.05	-0.7%
2020-21	134.82	-68.8%	1061.92	-50.7%	1196.74	-53.7%

वर्ष	यात्री (मिलियन में)					
	आईएनटीएल	पिछले वर्ष की तुलना में आईएनटीएल % वृद्धि	घरेलू	पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू % की वृद्धि	कुल	पिछले वर्ष की तुलना में कुल% वृद्धि
2016-17	59.29	8.5%	205.68	21.5%	264.97	18.3%
2017-18	65.47	10.4%	243.28	18.3%	308.75	16.5%
2018-19	69.48	6.1%	275.22	13.1%	344.70	11.6%
2019-20	66.54	-4.2%	274.51	-0.3%	341.05	-1.1%
2020-21	10.13	-84.8%	105.25	-61.7%	115.38	-66.2%

वर्ष	माल ढुलाई (1000 मीट्रिक टन में)					
	आईएनटीएल	पिछले वर्ष की तुलना में आईएनटीएल % वृद्धि	घरेलू	पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू % की वृद्धि	संपूर्ण	पिछले वर्ष की तुलना में कुल% वृद्धि
2016-17	1855.06	11.9%	1123.18	7.3%	2978.24	10.1%
2017-18	2143.97	15.6%	1223.06	8.0%	3357.03	12.7%
2018-19	2200.19	2.6%	1361.71	12.3%	3561.90	6.1%
2019-20	2003.12	-9.0%	1325.51	-2.7%	3328.63	-6.5%
2020-21	1521.42	-24.0%	952.49	-28.1%	2473.91	-25.7%